DSE IV - B

ग्राम पंचायत

झारखण्ड में 23 अप्रैल 2001 को झारखंड पंचायतीराज विधेयक को मंजूरी मिली। इस अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था अपनायी गयी। इसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गयी।

ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा (धारा-13)

1. राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन जिला उपायुक्त जिला गजट में अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को जिसमें कोई गांव या निकटस्थ गांव/टोलों के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा, जिसके क्षेत्र की जनसंख्या सम्पूर्ण राज्य के लिए यथासंभव पांच हजार के निकटतम होगी।

2. सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम पंचायत के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत की संरचना (धारा 15)

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों तथा मुखिया से मिलकर बनेगा।

ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में विभाजन (धारा 16)

i. चुनाव की सुविधा की दृष्टिकोण से राज्य सरकार जिला उपायुक्त द्वारा यथाविहित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र (वार्ड) में ऐसी रीति से विभक्त करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी यथासंभव 500 की जनसंख्या के निकटतम हो एवं यथासाध्य सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक ही हो।

ii. ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

मत देने एवं उम्मीदवार होने की पात्रता (धारा 18)

1. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम ग्राम के मतदाता सूची में सम्मिलित है।

Bhangkumar
3.3.20

मुखिया का निर्वाचन (धारा 20)

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया होगा।

2. कोई व्यक्ति जो,

(i) मुखिया या सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने योग्य है

(ii) संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है और

(iii) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है

मुखिया के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जिनका नाम ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में सम्मिलित हो

★ उप मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया मतदाता नहीं होगा परन्तु मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकेगा।

★ उपमुखिया का पद सामान्य क्षेत्रों में एवं अनुसूचित क्षेत्रों में अनारक्षित रखा जाएगा।

किसी मुखिया या उपमुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उसके पदावधि के प्रथम वर्ष में नहीं लाया जाएगा। पदावधि की समाप्ति की तिथि से 6: माह पूर्व नहीं लाया जाएगा।

★ ग्राम सभा का तात्पर्य है ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी राजस्व गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली कोई निकाय।

ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की 1/10 भाग की जिसमें कम से कम 1/3 भाग महिला होगी संख्या से पूरी होगी।

ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उपमुखिया करेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का मुखिया / उपमुखिया या कोई सदस्य नहीं हो और उस क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो। जैसे – मांझी, मुण्डा, पाहन, या महतो।

Bharat Kumar
30.3.2020